

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी

बदायूं, सोनभद्र, सीतापुर, गाजीपुर, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, फिरोजाबाद, रमाबाईनगर, रामपुर, शाहजहांपुर, ज्योतिबाफूलेनगर, फैजाबाद, कौशाम्बी, बरेली, मऊ, प्रतापगढ़, कुशीनगर एवं लखनऊ।

पत्रांक:-जीओ-94/सम्पेक्षा/म0आ0यो0/दौ0आ0/11-12 दिनांक 23 सितम्बर-2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में महामाया आवास योजना के अन्तर्गत दैवी आपदा हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण के शासनादेश संख्या-307/26-ब0प्र0-2011-17 (बजट)/ 2010, दिनांक 11-04-2011 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत महामाया आवास योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वारा रू0 27500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश के प्रस्तर-1(1) में दी गयी व्यवस्थानुसार कुल स्वीकृत धनराशि का 10 प्रतिशत अर्थात् रू0 2750.00 लाख की धनराशि दैवी आपदा आदि हेतु मात्राकृत की गयी है। उक्त मात्राकृत धनराशि में से शासनादेश संख्या-1438/38-4-11-25(बजट)/2011, दिनांक 21-09-2011 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए रू0 715.05 लाख (रू0 सात करोड़ पन्द्रह लाख पांच हजार मात्र) उक्त शासनदेश में उल्लिखित जनपदों द्वारा व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शासनादेश द्वारा दी गयी स्वीकृति के क्रम में रू0 715.05 लाख (रू0 सात करोड़ पन्द्रह लाख पांच हजार मात्र) संलग्नक-के कालम-3 के अनुसार आवंटित की जाती है। आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

1. धनराशि का व्यय दैवी आपदा से प्रभावित हुए आवासविहीन परिवारों के लिए महामाया आवास पर ही नियमानुसार किया जायेगा।
2. धनराशि के व्यय में शासनादेश संख्या-307/26-ब0प्र0-2011-17(बजट)/2010, दिनांक 11-04-2011 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आवंटित की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।
4. धनराशि का आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरण के एक सप्ताह के अन्दर आहरित धनराशि का बाउचर संख्या व दिनांक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग को सूचित किया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो इसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-महामाया आवास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या-187 पर कर ली गई है।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

महोदय
23/9/11
(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक: जीओ-94/सम्पेक्षा/म0आ0यो0/दौ0आ0/10-11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0शासन।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
- 8- नियोजन अनुभाग-2/3, उ0प्र0शासन।
- 9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/4, उ0प्र0शासन।
- 10- विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, अनुभाग-4, उ0प्र0शासन को शासनादेश संख्या-1438/38-4-11-25(बजट)/11, दिनांक 21-09-2011 के क्रम में।


(महेश कुमार अन्होत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

पत्र संख्या-जीओ-94/सम्प्रेक्षा/महा0/दैवीआ0/2011-12, दिनांक-23 सितम्बर 2011 का संलग्नक

(घनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही घनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	BADAUN	180.00	895.95
2	SONBHADRA	1.80	1150.65
3	SITAPUR	105.75	1850.40
4	GHAZIPUR	43.20	577.35
5	SULTANPUR	135.45	1204.62
6	AMBEDKARNAGAR	18.00	676.80
7	FIROZABAD	43.65	132.75
8	RAMABAI NAGAR	9.45	644.40
9	RAMPUR	0.45	239.85
10	SHAHJAHANPUR	15.75	1816.65
11	J.B.F. NAGAR	0.90	27.00
12	FAIZABAD	22.95	320.40
13	KAUSHAMBHI	11.25	2300.40
14	BAREILLY	0.90	256.95
15	MAU	21.60	472.50
16	PRATAPGARH	22.50	709.20
17	KUSHINAGAR	50.85	362.25
18	LUCKNOW	30.60	1419.30
	STATE TOTAL	715.05	

(रु० सात करोड़ पन्द्रह लाख पाँच हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा),
ग्राम्य विकास, 80 प्र०।

320

23/9/2011

(4)

संख्या-1438/38-4-11-25 बजट/11

रवि प्रकाश अरोड़ा
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ०प्र०, लखनऊ

दिनांक	22-9-11
संख्या	5555/10/प्र०/11
दिनांक	22-9-11

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक- 21 सितम्बर, 2011

विषय:- वर्ष-2011-12 में महामाया आवास योजनान्तर्गत दैवी आपदा हेतु आरक्षित मात्राकृत धनराशि के उपयोग/व्यय के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-802/सम्प्रेक्षा/दैवी आपदा/2011-12, दिनांक- 04 अगस्त, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामाया आवास योजना के कार्यान्वय हेतु रू०-550.00 करोड़ की धनराशि का बजट व्यवस्था प्राविधानित है। उक्त प्राविधानित बजट व्यवस्था में से 10 प्रतिशत की धनराशि दैवी आपदा के लिए मात्राकृत (आरक्षित) है। वित्तीय वर्ष-2011-2012 के लिए अनुदान संख्या-83 में समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-307/26-ब०प्र०-2011-17 बजट/2010, दिनांक-11 अप्रैल 2011 द्वारा रू०-275.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश के प्रस्तर-1(1) में दी गई व्यवस्थानुसार कुल स्वीकृत धनराशि का 10 प्रतिशत अर्थात् रू०-27.50 करोड़ की धनराशि दैवी आपदा हेतु मात्राकृत की गई है। उक्त मात्राकृत धनराशि में से दैवी आपदा से प्रभावित 1589 परिवारों के लिए नीचे दिये गये प्रारूप में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख अंकित कुल रू०-715.05 लाख (रूपये सात करोड़ पन्द्रह लाख पांच हजार मा) की धनराशि व्यय/उपयोग किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	आवास विहीन परिवारों की संख्या	अर्पक्षित धनराशि (रूपये लाख में)
1-	बदायूँ	400	180.00
2-	सोनभद्र	04	1.80
3-	सीतापुर	235	105.75
4-	गाजीपुर	96	43.20
5-	सुल्तानपुर	301	135.45
6-	अम्बेडकर नगर	40	18.00
7-	फिरोजाबाद	97	43.65
8-	रमाबाई नगर	21	9.45
9-	रामपुर	01	0.45
10-	शाहजहाँपुर	35	15.75
11-	ज्योतिबाफूले नगर	02	0.90

बेचर आयुक्त
(लेखा)

22.9.2011

(संजीव कुमार)

आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ० प्र०

22/9/11

12-	फैजाबाद	51	22.95
13-	कौशाम्बी	25	11.25
14-	बरेली	02	0.90
15-	मऊ	48	21.60
16-	प्रतापगढ़	50	22.50
17-	कुशीनगर	113	50.85
18-	लखनऊ	68	30.60
	योग-	1589	रु0-715.05

3- उक्त स्वीकृति धनराशि शासनादेश संख्या-307/26-ब0प्र0- 2011-17 बजट/ 2010, दिनांक-11अप्रैल 2011 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही व्यय की जायेगी तथा उक्त शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

4- उक्त धनराशि जनपद बदायूँ/सोनभद्र/सीतापुर/ गाजीपुर/सुल्तानपुर/ अम्बेडकर नगर/फिरोजाबाद/रमाबाई नगर/रामपुर/शाहजहाँपुर/ज्योतिबा-फूले नगर/फैजाबाद कौशाम्बी/बरेली/मऊ/प्रतापगढ़/कुशीनगर एवं लखनऊ में दैवी आपदा से प्रभावित हुए आवास विहीन परिवारों के लिए महामाया आवास पर ही नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। यदि उक्त स्वीकृत धनराशि का कोई अंश बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

भवदीय,

(रवि प्रकाश आरोड़ा)
विशेष सचिव।

संख्या-1438(1)/38-4-11 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- मुख्य एवं वित्त लेखाधिकारी, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 5- संबंधित जनपद के जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक।
- 6- संबंधित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
- 9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
- 10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

प्रेषक,

रवि प्रकाश अरोड़ा
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ०प्र०, लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक- 21 सितम्बर, 2011

विषय:- वर्ष-2011-12 में महामाया आवास योजनान्तर्गत दैवी आपदा हेतु आरक्षित मात्राकृत धनराशि के उपयोग/व्यय के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-802/सम्प्रेक्षा/दैवी आपदा/2011-12, दिनांक- 04 अगस्त, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामाया आवास योजना के कार्यान्वय हेतु रू०-550.00 करोड़ की धनराशि का बजट व्यवस्था प्राविधानित है। उक्त प्राविधानित बजट व्यवस्था में से 10 प्रतिशत की धनराशि दैवी आपदा के लिए मात्राकृत (आरक्षित) है। वित्तीय वर्ष-2011-2012 के लिए अनुदान संख्या-83 में समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-307/26-ब०प्र०-2011-17 बजट/2010, दिनांक-11 अप्रैल 2011 द्वारा रू०-275.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश के प्रस्तर-1(1) में दी गई व्यवस्थानुसार कुल स्वीकृत धनराशि का 10 प्रतिशत अर्थात् रू०-27.50 करोड़ की धनराशि दैवी आपदा हेतु मात्राकृत की गई है। उक्त मात्राकृत धनराशि में से दैवी आपदा से प्रभावित 1589 परिवारों के लिए नीचे दिये गये प्रारूप में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख अंकित कुल रू०-715.05 लाख (रूपये सात करोड़ पन्द्रह लाख पांच हजार मा) की धनराशि व्यय/उपयोग किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	आवास विहीन परिवारों की संख्या	अपेक्षित धनराशि (रूपये लाख में)
1-	बदायूँ ✓	400	180.00
2-	सोनभद्र ✓	04	1.80
3-	सीतापुर ✓	235	105.75
4-	गाजीपुर ✓	96	43.20
5-	सुल्तानपुर ✓	301	135.45
6-	अम्बेडकर नगर ✓	40	18.00
7-	फिरोजाबाद ✓	97	43.65
8-	रमाबाई नगर ✓	21	9.45
9-	रामपुर ✓	01	0.45
10-	शाहजहाँपुर ✓	35	15.75
11-	ज्योतिबाफूले नगर ✓	02	0.90

सं० ११५५०१५
२२/९/११

12-	फैजाबाद ✓	51	22.95
13-	कौशाम्बी ✓	25	11.25
14-	बरेली ✓	02	0.90
15-	मउ ✓	48	21.60
16-	प्रतापगढ़ ✓	50	22.50
17-	कुशीनगर ✓	113	50.85
18-	लखनऊ ✓	68	30.60
	योग-	1589	रु०-715.05

3- उक्त स्वीकृति धनराशि शासनादेश संख्या-307/26-ब०प्र०- 2011-17 बजट/ 2010, दिनांक-11अप्रैल 2011 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही व्यय की जायेगी तथा उक्त शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

4- उक्त धनराशि जनपद बदायूँ/सोनभद्र/सीतापुर/ गाजीपुर/सुल्तानपुर/ अम्बेडकर नगर/फिरोजाबाद/रमाबाई नगर/रामपुर/शाहजहाँपुर/ज्योतिबा-फूले नगर/फैजाबाद कौशाम्बी/बरेली/मऊ/प्रतापगढ़/कुशीनगर एवं लखनऊ में दैवी आपदा से प्रभावित हुए आवास विहीन परिवारों के लिए महामाया आवास पर ही नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। यदि उक्त स्वीकृत धनराशि का कोई अंश बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

भवदीय,

(रवि प्रकाश अरोड़ा)
विशेष सचिव।

संख्या-1438(1)/38-4-11 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- मुख्य एवं वित्त लेखाधिकारी, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 5- संबंधित जनपद के जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक।
- 6- संबंधित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
- 9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
- 10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा० हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।